हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई)

अधिनियम विधेयक, 2003

17

अनुक्रमणिका

अध्याय–1
प्रारम्भिक

क0सं0	धारायें	पृष्ठ संख्या
1.	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ	01
2.	परिभाषायें	01

अध्याय–2
विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

3.	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव	03
4.	विश्वविद्यालय की स्थापना	03
5.	विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना	04
6.	किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना	04
7.	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	04
8.	विश्वविद्यालय की शक्तियां	05
9.	विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुंच होगी	07
10.	राष्ट्रीय प्रत्यायन	08

अध्याय–3
विश्वविद्यालय के अधिकारी

11.	विश्वविद्यालय के अधिकारी	08
12.	कुलाध्यक्ष (विजिटर)	08
13.	कुलाधिपति	08
14.	कुलपति	09
15.	प्रति कुलपति	09
16.	संकाय अध्यक्ष	09
17.	कुल सचिव	09
18.	वित्त अधिकारी	10
19.	अन्य अधिकारीगण	10

अध्याय–4
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

क0सं0	धारायें	पृष्ठ संख्या
20.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	10
21.	व्यवस्थापक मण्डल और उसकी शक्तियां	10
22.	प्रबन्ध मण्डल	11
23.	विद्या परिषद्	11
24.	वित्त समिति	11
25.	अन्य प्राधिकरण	12
26.	रिक्ति के फलस्वरूप कार्यवाही का अवैध न होना	12

अध्याय–5
परिनियम और नियमावली

27.	परिनियम	12
28.	परिनियम कैसे बनाए जायेंगे	12
29.	परिनियम में संशोधन करने की शक्ति	13
30.	नियम एवं परिनियम	13
31.	नियमावली कैसे बनायी जायेगी।	13
32.	नियमावली को संशोधित करने की शक्ति	14

अध्याय–6
प्रकीर्ण

33.	कर्मचारियों की सेवा शर्तें	14
34.	अपील का अधिकार	14
35.	भविष्य निधि एवं पेंशन	14
36.	विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के विषय में विवाद	14
37.	समितियों का गठन	14
38.	आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	15
39.	सद्भावनापूर्ण की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण	15
40.	संक्रमणकालीन उपबन्ध	15
41.	स्थायी विन्यास निधि	15
42.	सामान्य निधि	15
43.	विकास निधि	16
44.	निधि का अनुरक्षण	16
45.	वार्षिक प्रतिवेदन	16
46.	लेखा और लेखा–परीक्षा	16
47.	विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति	17
48.	विश्वविद्यालय का विघटन	17
49.	विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय	18
50.	कठिनाईयों का निराकरण	18
51.	निरसन	18

अधिनियम

हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003

अधिनियम (विधेयक संख्या 17 वर्ष 2003)

राज्य में तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा प्रायोजित, हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) स्थापित करने और उसे निगमित करने एवं उससे सम्बन्धित या अनुषांगिक, विषयों की व्यवस्था करने हेतु अध्यादेश संख्या 4 वर्ष 2003 का प्रतिस्थानी यह

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित किया जाता है :–

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाली तिथि को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2. जब तब कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) 'विद्या परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;

(ख) 'संघटक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, या संस्था से है;

(ग) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

(घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, अन्य पारस्परिक विधिया, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई–लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;

(च) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी आते है ;

(छ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(ज) 'विहित' का तात्पर्य 'परिनियमों द्वारा विहित' से है;

(झ) किसी संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य संघटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ प्राचार्य न हों, वहाँ उपप्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ट) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबंध मंडल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से किया गया हो;

(ठ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

(ड) 'परिनियमों' और 'नियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और नियमावली से है;

(ढ) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्‌देश्य से किया गया हो;

(त) 'तालीम रिसर्च फाउन्डेशन' अहमदाबाद, गुजरात, का तात्पर्य विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था से है जो पंजीकृत पूर्त न्यास और साहित्यिक संस्था है तथा गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है।

(थ) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसे अन्य व्यक्ति से है, जिसे विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;

(द) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का तात्पर्य उस संस्थान से है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई है।

(ध) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) से है;

(न) 'जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर' का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने,, ई–मेल, इन्टरनेट, पारस्परिक संवाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह, परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;

अध्याय – 2
विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3. (1) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन अहमदाबाद, गुजरात को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद, गुजरात, प्रदेश सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। इस आवेदन पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे :-

(क) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य ;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;

(ग) आगामी पांच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार ;

(घ) संकायों की प्रकृति, पाठ्यक्रम तथा आरम्भ किया जाने वाला प्रस्तावित शोध कार्य ;

(च) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे – भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख सुविधायें ;

(छ) आगामी पांच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय ;

(ज) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;

(झ) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके ;

(ट) आन्तरिक संसाधनों – विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं अन्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना ;

(ठ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ तथा प्रवासी भारतीयों एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हों, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा ;

(ड) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन ;

(ढ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति तथा ;

(न) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति ;

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. (1) यदि प्रदेश सरकार आवश्यक ऐसी जांच करने के उपरान्त जिसे वह आवश्यक समझे, का समाधान हो जाये कि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं तो तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद को स्थाई विन्यास निधि स्थापित करने के लिए निदेश देगी।

(2) स्थायी विन्यास निधि की स्थापना के उपरान्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर सकेगी।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तरांचल, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय वह अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं ज़ेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना कर सकेगा।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय स्थापना के तीन वर्ष के अन्दर राज्य के तेरह जनपदों में एक-एक अध्ययन केन्द्र स्थापित कर लेगा।

(4) विश्वविद्यालय कुलाध्यक्ष (विजिटर) के अनुमोदन से देश के बाहर भी ऐसे केन्द्रों की स्थापना कर सकेगा।

(5) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मंडल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुए निगमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद किया जा सकता है।

(6) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत निर्मित, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि तथा चल एवं अचल सम्पत्तियां भी लिये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद की सम्पत्तियों को छोड़कर, विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेंगी।

(7) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वतः वित्त पोषक होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता अनुदान, या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई माँग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र एवं जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7. जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं :-

(क) विश्वविद्यालय का उद्देश्य मल्टीमीडिया तथा अन्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा पारम्परिक साधनों द्वारा विद्या एवं ज्ञान का प्रसार बड़ी संख्या में जनता को शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान करना और सामान्यतः सामाजिक, शैक्षणिक

कल्याण को प्रोत्साहित करना। देश की पारम्परिक शिक्षा प्रणाली के साथ–साथ दूरस्थ शिक्षा एवं वैकल्पिक शिक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देना और ऐसी प्रणालियों में मानदण्डों का निर्धारण।

(ख) वसुधैव कुटुम्बकम् के अपने आदर्श सूत्र के अनुरूप जाति, धर्म, समुदाय, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समूचे देश एवं विश्व भर में फैली समूची मानवजाति को लाभ पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा शोध, शिक्षण और विस्तार कार्यों के संचालन हेतु पारम्परिक आवासीय एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।

(ग) यथासम्भव शिक्षा के उच्चतम शैक्षिक स्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा विशेषज्ञों एवं पियर ग्रुप द्वारा मूल्यांकन के माध्यम से इसके लिए निरन्तर प्रयासरत रहने के लिए नवीन, लचीले व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम विकसित और तैयार करना तथा अध्यापन।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त निर्धारित पाठ्यक्रम प्रदान करना।

(च) विद्या के ऐसे विषयों को शिक्षा, अनुदेश तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जिन्हें वह उचित समझे।

(छ) ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए मौलिक एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित तथा संचालित करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

8. (1). विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :–

(क) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, अनुरक्षण एवं मान्यता प्रदान करना जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये।

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हों।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टिताएं संस्थित और प्रदान करना, जिन्होंने :–

(अ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, या

(ब) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध–कार्य किया हो,

(घ) परिनियमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियाँ, या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना,

(च) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना,

(छ) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किये जायें,

(ज) धारा (6) में उल्लिखित दूरस्थ शिक्षा पद्धति, वैकल्पिक शिक्षा पद्धति और अन्य क्षेत्रों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना,

(झ) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठ्येतर क्रिया–कलापों की व्यवस्था करना,

(ट) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में संकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

(ठ) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रयोजनार्थ संदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निपटारा करना।

(ड) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिए छात्र को संस्थित और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना,

(ढ) आवास का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना और आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना।

(त) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन,

(थ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे,

(द) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके।

(ध) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्याँककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अन्य, कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना।

(न) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं शिक्षा परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना,

(प) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तरांचल राज्य के छात्रों के लिये विशेष व्यवस्था करना,

(फ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हों या न हों।

(ब) विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अन्तर्गत आते हैं। अपने विषयों में डिप्लोमा प्रमाण पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार होगा।

(भ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां, न्यास की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग होंगी।

(म) फिल्म, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी.डी., वी.सी.डी. और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना।

(य) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना।

(र) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना।

(ल) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी परन्तु उपधारा (1) के प्राविधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के प्रोत्साहन के लिए और ऐसी प्रणालियों में शिक्षण मूल्यांकन तथा शोध कार्यों के मानक निर्धारित करने के लिए ऐसे सभी उपाय करेगा जिन्हें वह उचित समझे। इन गतिविधियों, कार्य सम्पादन के लिए उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जिन्हें परिनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाये तथा इनमें महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स को, चाहे वे उसके अधिकार क्षेत्र या उससे बाहर हों, अनुदान के आवंटन और संवितरण की शक्ति भी शामिल है।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग,जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा भले ही वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों। परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने पर प्रतिबन्ध है।

परन्तु, और यह भी कि इस धारा में किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, या अध्ययन केन्द्रों या जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय / प्रत्यायन

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय – 3
विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–
(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर)
(ख) कुलाधिपति;
(ग) कुलपति;
(घ) प्रति– कुलपति;
(च) संकायाध्यक्ष;
(छ) कुल सचिव;
(ज) वित्त अधिकारी; और
(झ) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

12. (1) उत्तरांचल के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियाँ एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
(3) कुलाध्यक्ष की निम्न शक्तियां होंगी, अर्थात् :–
(क) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी पत्र या सूचना को मंगाना;
(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर कुलाध्यक्ष यदि उसका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अधिनियम, विनियम, अध्यादेश अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, निर्देश दे सकेंगे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
(4) मानद उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

13. (1) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन अहमदाबाद, गुजरात के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे, जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। तत्पश्चात् तालीम रिसर्च फाउन्डेशन न्यासियों में से कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति नियुक्त करेंगे।
(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायें।

14. (1) कुलाधिपति द्वारा उप–धारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों को पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्‌ :–
(क) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति;
(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति;
(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव / सचिव;
(घ) व्यवस्थापक मण्डल के तीन नामनिर्देशिती, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर उपकुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त तीन सदस्यों के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता और अन्य विशिष्टियों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जाय।

(7) कुलाधिपति को सम्यक्‌ जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त हैं। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत्‌ रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

प्रति–कुलपति 15. प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जाये और प्रति–कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

संकाय अध्यक्ष 16. संकाय अध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुल सचिव 17. (1) कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी की विहित की जाएँ।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मोहर की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएँ और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

वित्त अधिकारी

18. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जाये।

अन्य अधिकारी गण

19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें, तथा शक्तियाँ और कर्त्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

अध्याय – 4
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :–

(क) व्यवस्थापक मण्डल;

(ख) प्रबन्ध मण्डल;

(ग) विद्या परिषद;

(घ) वित्त समिति; और

(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जाएं।

व्यवस्थापक मण्डल और उसकी शक्तियाँ

21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे :–

(अ) कुलाधिपति – अध्यक्ष

(ब) कुलपति – सदस्य–सचिव

(स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित एक सचिव

(द) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद, द्वारा नामित पाँच व्यक्ति।

(य) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित व्यक्ति।

(र) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित राज्य के तीन प्रख्यात विद्या विद एवं शिक्षाविद् जिनमें न्यूनतम एक महिला होगी।

(ल) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन विद्याविद् जिनमें न्यूनतम एक महिला होगी।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनरावलोकन;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन;

(घ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना, या पूर्व में बनें परिनियमों अथवा नियमावली का संशोधन या निरसन;

(च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना; और

(छ) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन, और

(ज) ऐसे निर्णय एवं उपाय करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं ;

(3) व्यवस्थापक मण्डल वर्ष में न्यूनतम तीन बैठक ऐसे समय और स्थान पर रखेगा, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल 22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(अ) कुलपति;

(ब) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामित व्यक्ति

(स) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद, द्वारा नामित पाँच व्यक्ति

(द) एक वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक ;

(य) कुलाधिपति द्वारा नामित संकायों के दो संकायाध्यक्ष;

(र) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो;

कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति तथा कुल सचिव प्रबन्ध मण्डल का सचिव होगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे, जो विहित किये जायें।

विद्या परिषद 23. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(अ) कुलपति – सभापति

(ब) कुल सचिव – सचिव

(स) ऐसे अन्य सदस्य – जैसा परिनियमों में विहित किया जायें।

(2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति 24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(अ) कुलपति – सभापति

(ब) वित्त अधिकारी

(स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव स्तर से निम्न पद का न हो।

(द) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किया जाये;

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय – 5
परिनियम और नियमावली

परिनियम

27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों से संबद्ध किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत् हैं :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य–सम्पादन और ऐसी इकाइयों का गठन की प्रक्रिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं,

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संप्रचालन;

(ग) कुलपति, कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें, उनकी शक्तियां एवं कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा शर्तें;

(च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;

(छ) विभागों और संकायों का सृजन, समउत्सादन और उनकी पुनर्सरचना;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(झ) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;

(ट) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के संबंध में उपबन्ध;

(ठ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है, तथा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के लिए स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया;

(ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क;

(ढ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, फीसमाफी, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(त) पदों के सृजन और समापन की प्रक्रिया;

(थ) अन्य मामले जो विहित किये जायें।

परिनियम कैसे बनाए जायेंगें

28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाए गए प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना

उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम संशोधन करने की शक्ति

29. व्यवस्थापक मंडल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम एवं परिनियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नियमों और परिनियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या–संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियां पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(च) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्त्तव्य;

(छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश के लिए लिया जाने वाला शुल्क;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(ट) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जायें।

नियमावली कैसे बनायी जायेगी

31. (1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी जायेगी और इस प्रकार बनायी गयी नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

नियमावली को संशोधित करने की शक्ति

32. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से विद्या परिषद् नये या अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

अध्याय – 6
प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

33. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) छात्रों या कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।

(4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विहित की जाये।

अपील का अधिकार

34. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरूद्ध प्रबन्ध मंडल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा, और उस पर प्रबन्ध मंडल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य निधियां एवं पेंशन

35. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद

36 यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत् निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

37. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन, समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, या समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान, वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता।

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

39. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध संस्थित नहीं होगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

40. इस अधिनियम और परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी :–

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रति कुलपति, यदि कोई है, की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा;

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये पद धारण करेगा;

(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

41. (1) विश्वविद्यालय कम से कम एक करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर स्वमेव ही बढ़ा सकेगा, परन्तु घटा नहीं सकता।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को विहित रीति से निवेश करने की शक्ति होगी;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि, या विकास निधि से कोई भी धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा, किन्तु स्थायी विन्यास निधि में से किसी राशि के विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति को छोड़कर किसी भी अन्य परिस्थिति में अन्य प्रयोजनों के लिए अन्तरित नहीं कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त आय का 75 प्रतिशत से अनधिक विश्वविद्यालय विकास के लिए उपयोग में लाया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत स्थायी विन्यास निधि में पुनर्निवेशित किया जायेगा।

सामान्य निधि

42. (1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी:–

(क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि 43. (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी:–

(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि।

(ग) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और

(च) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण 44. धारा 41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन 45. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।

(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष एवं राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा और लेखा-परीक्षा 46. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रतिवर्ष लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा की जायेगी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आई0सी0ए0आई0) के सदस्य हो।

(3) लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उस पर अपनी संप्रेक्षण 31 दिसम्बर से पहले अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष उसे कुलाध्यक्ष एवं राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं एवं लेखा–परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बंधनकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

47. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प, अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत् रखी गयी किसी पंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल–सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजी में प्रविष्ट होने के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती हो, तो वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती।

विश्वविद्यालय का विघटन

48. (1) यदि तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद, अपने संगठन या निगमन को नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार नभ विश्वविद्यालय के विघटन का प्रस्ताव करता है, तो वह राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होने एवं आर्थिक कठिनाईयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निदेश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाय, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा जो इस विषय में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय परन्तु उसके लिए तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद को कारण बताओ नोटिस के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ऐसी कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके, तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन के प्रस्तावित दिनांक से, और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।